न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 54 / 2021 तारीख रजू 01.09.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारनाडूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र रतना जाति हरिजन निवासी ग्राम मलारनाडूंगर तह0 मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27/12/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी मोहन पुत्र रतना जाति हरिजन निवासी ग्राम मलारनाडूंगर तह0 मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 3286 / 678 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम मलारनाडूंगर में आदेश दिनांक 05 / 06 / 1973 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 3286 / 678 रकबा 2.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत मलारनाडूंगर व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 3286 / 678 रकबा 2.00 बीघा पर भू.अ.निरीक्षक वृत मलारनाडूंगर व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:35 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 3286 / 678 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम मलारनाडूंगर में आदेश दिनांक 05 / 06 / 1973 को आवंटन किया गया था। उनका पक्षकार जमाबन्दी सम्वत् 2075–2077 के अनुसार ख0नं0 3286 / 678 रकबा 2.00 बीघा पर काश्तकार के रूप में

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

काबिज है। पटवारी हल्का मलारनाडूंगर द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी मोहन पुत्र रतना जाति हरिजन निवासी ग्राम मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 3286/678 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम मलारनाडूंगर आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत मलारनाडूंगर व पटवारी हल्का मलारनाडूंगर की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी होना अंकित किया है लेकिन खसरा गिरदावरी सम्वत 2075–77 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त आवंटित शुदा भूमि काश्त की जा रही है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने संबधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित टाइपशुदा प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल – बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति में भिजवाया गया है। अतः तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारनाडूंगर के आराजी खसरा नम्बर 3286/678 रकबा 2.00 बीघा की स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27/12/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:35 IST
Reason: SelfAttested